न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार, RAS

अपील संख्या : 320/2018

1. करण सिंह पुत्र प्रभु सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मानपुरा माचेडी, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।
2. नरेन्द्र सिंह पुत्र प्रभु सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–मानपुरा माचेडी, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट,

(अपील राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आज्ञा दि. 04.02.2008 तहसीलदार, आमेर, जिला–जयपुर नामान्तरकरण संख्या 611 ग्राम मानपुरा माचेडी)

उपस्थितः–

1. श्री बंशीधर जाट, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 28.08.2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मानपुरा माचेडी, तहसील–आमेर, जिला जयपुर स्थित ख0नं0 1190, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1761, 1762, 3227, 2229/ 4016, 3425/4016, 3426 कुल किता 12 कुल रकबा 2.8297 हे0 भूमि अपीलान्ट्स के पिता प्रभूसिंह पुत्र नाथूसिंह का हिस्सा 1/4 के स्थान पर नामान्तरकरण सं0 611 में 1/6 हिस्सा दर्ज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाकर शामिल मिसल कराया गया।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। अपीलान्ट्स के विद्वान् अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील–आमेर, जिला–जयपुर स्थित ख0नं0 1190, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1761, 1762, 3227, 2229/ 4016, 3425/4016, 3426 कुल किता 12 कुल रकबा 2.8297 हे0 वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट्स के पिता प्रभूसिंह पुत्र नाथू सिंह का 1/4 हिस्सा दर्ज था। प्रार्थीगण के सजरा खानदान के अनुसार खातेदार प्रभूसिंह पुत्र नाथूसिंह का 1/2 हिस्से मे से आधा हिस्सा अर्थात् सम्पूर्ण भूमि में से 1/4 हिस्सा नियत था। खातेदार नाथूसिंह की मृत्यु होने के बाद फौती नामान्तरकरण सं0 611 खाता सं0 228 का

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक करते समय 1/4 हिस्से की बजाय 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जिसके आधार पर जमाबंदी में भी अमल–दरामद कर दिया गया। विवादित आराजियात में अपीलान्ट्स का अपने पिता के जीवनकाल से ही 1/4 हिस्से पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है। सहवन से अपीलाधीन नामान्तरकरण के भाग सं0 2 खाता सं0 228 में गलत हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जबकि अन्य सम्पूर्ण खातों सही हिस्सा दर्ज कर दिया गया। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित खाता सं0 2 में अपीलान्ट्स के नाम तस्दीक किया गया 1/6 हिस्से की बजाय 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट द्वारा नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण लिपिकीय त्रुटि के कारण अपीलान्ट्स का हिस्सा कम दर्ज कर दिया गया जो प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी होने के कारण मियाद का बिन्दु लागू नही होता है। अपीलान्ट्स को दिनांक 25.09.2018 को हल्का पटवारी द्वारा सर्वप्रथम इस बाबत् जानकारी दी गई कि राजस्व रिकार्ड में हिस्सा कम दर्ज कर दिया गया है। जिस पर अपीलान्ट्स द्वारा जानकारी जुटाकर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। चूंकि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट्स का हिस्सा अपीलान्ट्स की जानकारी के बिना एवं अपीलान्ट्स को सुने बिना दर्ज किया जाना जाहिर होता है। अतः अपील–अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण में ऑवर राईटिंग कर अपीलान्ट्स का हिस्सा 1/6 दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा नामान्तरकरण में ऐसा कोई कारण भी अंकित नही किया है, जिसके कारण अपीलान्ट्स का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 1/6 अंकित किया गया है। न्याय हित में तहसीलदार, आमेर द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट्स को उसका हिस्सा कम करने के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए था। जो दिया जाना प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जा कर नामान्तरकरण सं0 611 दिनांक 04.02.2008 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार, आमेर को प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों का पालन करते हुए सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलान्ट के पक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित

निर्णय मेरे इजलास आज दिनांक 28.08.2019 को सुनाया गया।

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner